

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री केशव मछुआ, जंजीरवाहक, विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना राँची के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 4857 दिनांक- 11.09.2015 द्वारा सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी, श्री फ्रांसिस जेवियर कुजूर, उप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को नियुक्त किया गया। श्री कुजूर का प्रोन्नति पश्चात् अन्यत्र विभाग में पदस्थापन होने के कारण जाँच कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

3. अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति में विषयगत विभागीय कार्यवाही में श्री निरंजन प्रसाद सिन्हा, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. पूर्व से निर्गत संकल्प आदेश सं०-4857 दिनांक- 11.09.2015 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

विश्वासभाजन

80/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3257 राँची/दिनांक 17-6-16

प्रतिलिपि :- श्री निरंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को संकल्प की प्रति जाँच फोल्ड (मूल में) सहित/विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची-सह प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्री केशव मछुआ, जंजीरवाहक, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही के निष्पादन एक माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन (03) प्रतियों में विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अतः - अधीन।

Vinay
16/06/2016

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव